



Neutral Citation No - 2026:AHC:21940-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2026 की 1

दुर्गा प्रसाद शर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरुण कुमार सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शशि प्रकाश सिंह (भारत के अपर महान्यायाभिकर्ता),
जिज्ञासा सिंह

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह रिट याचिका केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा मूल आवेदन संख्या - 2021 का 843 में दिनांक 04.09.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के उन आदेशों से व्यथित होकर दाखिल मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिनके द्वारा संचयी प्रभाव से एक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई थी।

2. याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ मोटर वाहन चालक से औजार एवं संयंत्र (T&P) तथा उपरि उपस्कर (OHE) के अतिरिक्त पुर्जों सहित वाहन का प्रभार ग्रहण करने से इनकार करने के संबंध में तामील किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



खंडन करते हुए और यह उपदर्शित करते हुए आरोप-पत्र का उत्तर दिया कि उसने औजार एवं संयंत्र (T&P) तथा उपरि उपस्कर (OHE) के अतिरिक्त पुर्जों सहित वाहन का प्रभार ग्रहण करने से इनकार नहीं किया था, अपितु केवल यह पूछा था कि जब वह अवकाश पर होगा, तो उक्त औजार एवं संयंत्र (T&P) तथा उपरि उपस्कर (OHE) के अतिरिक्त पुर्जों का प्रभार किसके पास होगा, जिसे त्रुटिवश प्रभार ग्रहण करने से इनकार मान लिया गया।

3. जांच अधिकारी ने जांच संचालित करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता आरोप का दोषी है और अनुशासनिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सूचना जारी करने के पश्चात संचयी प्रभाव से दो ग्रेड वेतन वृद्धियाँ रोकने की शास्ति अधिरोपित की।

4. व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप को सम्पुष्ट किया, तथापि, शास्ति को संचयी प्रभाव से दो ग्रेड वेतन वृद्धियाँ रोकने से घटाकर संचयी प्रभाव से एक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने तक कम कर दिया।

5. इससे व्यथित होकर मूल आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकरण के हस्तक्षेप हेतु कोई आधार नहीं पाया गया और परिणामस्वरूप मूल आवेदन को खारिज कर दिया।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दोहराया कि याचिकाकर्ता पर लगाया गया आरोप गलत था। उसने आरोपित रूप में औजार एवं संयंत्र (T&P) तथा उपरि उपस्कर (OHE) के अतिरिक्त पुर्जों सहित वाहन का प्रभार ग्रहण करने से कभी इनकार नहीं किया था, और इसलिए अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा अधिकरण शास्ति अधिरोपित करने/सम्पुष्ट करने में न्यायोचित नहीं थे।

7. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. हमने किए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

9. जांच अधिकारी ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गहन विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता औजार एवं संयंत्र (T&P) तथा उपरि उपस्कर (OHE) के अतिरिक्त पुर्जों सहित वाहन का प्रभार ग्रहण करने से इनकार करने का दोषी है, जिस निष्कर्ष को अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित उच्चतर शास्ति को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा शिथिल कर दिया गया।

10. जांच अधिकारी के निष्कर्ष को प्रश्नगत करने की मांग हेतु जो संकेत किया गया है, वह मूलतः उपलब्ध नहीं है क्योंकि जो निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है वह उस सामग्री पर आधारित है जो जांच अधिकारी के समक्ष उपलब्ध थी और अधिकरण ने उठाए गए विवादक का परीक्षण करने के पश्चात उसे सम्पुष्ट किया है।

11. विभागीय प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य के परीक्षण का मानक संभाव्यताओं की प्रबलता का है न कि कठोर प्रमाण का, जिसे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा लागू करने की अपेक्षा की जा रही है।

12. इसके दृष्टिगत, हम अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। याचिका में कोई सार नहीं है। अतः याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

2 फरवरी, 2026

आर.के./एस.एल.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"